



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd> E-Mail-eicpwwd@nic.in

पत्रांक: 914/01 ए0सी0आर0-व्यक/2022
सेवामें,

दिनांक 17/06/2022

समस्त मुख्य अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0/वर्ल्ड बैंक
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा/देहरादून।

2- समस्त अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0/वर्ल्ड बैंक
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
.....

विषय:-
सन्दर्भ:-

ऑन लाईन के माध्यम से ए0सी0आर0 भरे जाने के सम्बन्ध में।
इस कार्यालय का पत्रसंख्या-803/01ए0सी0आर0-व्यक/2022 दिनांक-03.06.2022।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-553/01ए0सी0आर0-व्यक/2022 दिनांक-19.04.2022 के द्वारा जारी (S.O.P.) के अनुसार प्रथम चरण में केवल विभागीय कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों पर यह व्यवस्था लागू की गई है। अन्य विभाग/प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को ए0सी0आर0 को उन विभागों में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ही भरे जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया था, परन्तु कतिपय अन्य विभागों में सम्बद्ध कार्मिकों द्वारा पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही हार्ड कापी में ए0सी0आर0 में प्रविष्टि किये जाने के उपरान्त हार्ड कापी इस कार्यालय को प्रेषित की जा रही है, जो कि शासनादेश के अनुरूप नहीं है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्रसंख्या-78/XXX(2)/2022-55(26)/2002 दिनांक-11.02.2022 द्वारा राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत श्रेणी "क" "ख" एवं "ग" के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-22 से ऑन लाईन अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के आलोक में लोक निर्माण विभाग के अन्य विभागों/प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी उन विभागों में कार्यरत अवधि की ए0सी0आर0 उन विभागों में प्रचलित ऑन लाईन व्यवस्था के अनुसार ही ए0सी0आर0 भरे जाने की कार्यवाही करेंगे तथा स्वीकृताधिकारी द्वारा ऑन लाईन प्रविष्टि किये जाने के उपरान्त ही ए0सी0आर0 की हार्ड कापी, Legacy data में update करने हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।
02. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय/रा0मा0/ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग.....
03. अधिशाली अभियन्ता आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वर्णित पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
04. वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता-अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
05. समस्त कार्मिक, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)
17.06.22